न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–47/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नानगराम पुत्र श्री घीसाराम जाति अहीर निवासी ग्राम अहमदपुर(अहीरबास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

..... अपीलांटस

बनाम

1. रामोतार पुत्र स्व0 श्री रूडमल जाति कोली,
2. शान्ती पुत्री स्व0 श्री रूडमल जाति कोली,
3. कमलेश पुत्री स्व0 श्री रूडमल जाति कोली निवासीयान मौहल्ला नला शीश गरान अलवर
4. ..... रेस्पोडेण्टस
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ एवं उपपंजीयक रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....तकमीली रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. अभिभाषक रेस्पो0 अनुपस्थित।

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.02.2021

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर कैम्प कोर्ट परसा का बास के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत् आराजी खसरा नंबर साबिक 330 रकबा 04.03 बीघा, हाल खसरा नंबर 706 रकबा 85 एयर, 706/1083 रकबा 20 ऐयर पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादी का वाद निस्तारण करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 द्वारा खारिज कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

इसी के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य निर्णय व डिक्री तहत अदालत द्वारा अपीलांट की गैरजानकारी में पारित की गई है। इस कारण अपीलांट को पूर्व में आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी, इसलिये समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी। नेकनियति एवं युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद मुजरा दिये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त कथन करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय कैम्प कोर्ट परसा का बास में सादिर फरमाया है, कानूनन कैम्प कोर्ट अथवा लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है है जो आपसी राजीनामा या सहमति से हो सकते हों। कैम्प कोर्ट अथवा लोक अदालत में मेरिट्स पर कोई निर्णय सादिर नही फरमाया जा सकता। विवादित आराजी गत खसरा नंबर 330 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा हाल खसरा नंबर 706 रकबा 0.85 व 706/1083 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अहमदपुर पर मिन अपीलांट का कब्जा गत काफी समय से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 में लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है। एवं वादी अपीलांट बिना किसी रोक टोक के विवादित आराजी पर काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करता चला आ रहा है एवं कानूनन वादी को विवादित आराजी की बाबत हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। असल प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता श्री रूडमल का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा और ना ही उसने कभी काश्त की, राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के पिता श्री रूडमल का नाम बतौर गैरखातेदारी अलोटी गलत तौर पर किया गया है। जबकि ना तो कथित आवंटन के तहत रूडमल को विवादित आराजी का कब्जा दिया गया और ना कभी उसका कब्जा रहा, बल्कि अलोटी रूडमल व प्रतिवादीगण गैरकाबिज है और उनका कभी भी कब्जा नही रहा। अतः वादी, प्रतिवादीगण के पिता श्री रूडमल के नाम के इन्द्राज को कलमजन कराते हुये उनके खिलाफ डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री तहत अदालत दिनांक 06.06.2016 निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर पत्रावली दिनांक 05.08.2015 को प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी में नियत थी। दिनांक 17.03.2016 को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. तलबाना पेश किया गया और पत्रावली को दिनांक 19.05.2016 में नियत किया गया, परन्तु 19.05.2016 को बिना सूचना दिये ही पत्रावली को 06.06.2016 में नियत कर दिया गया। स्वयं तहत न्यायालय की आदेशिका में "प्रतिवादीगण

उपस्थित नही हुये" अंकित है। चूंकि प्रतिवादीगण कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही हुये, ऐसी स्थिति में पत्रावली को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारित करवाने में पक्षकारान की सहमति नही मानी जा सकती है।

लोक अदालत व स्थाई लोक अदालत के कानून बिंदु संख्या 20 लोक अदालतों द्वारा मामलों की संज्ञेयता (1)(i)क में केवल पक्षकारों के सहमत होने पर ही लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। तहत अदालत कैम्प कोर्ट द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 पर कैम्प कोर्ट के लिये गठित पैनल के सदस्यों के हस्ताक्षर भी अंकित नही है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत सहायक कलेक्टर अलवर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः अपना निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर